भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DW 895608

ई0स्टाम्प अदा रू0 3,43,000/–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 31 माह 07 वर्ष 2018 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, जिसकाप्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात परिषद् कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद् इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित है।

आवटी–(अजयवीर सिंह)
पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह
निवासी–नगला हवेली, नियर कावेरी लॉज,
दयालबाग, आगरा।

सम्पत्ति प्रबन्धक

..... 2 .....

एक पक्ष और श्री अजयवीर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी–नगला हवेली, नियर कावेरी लॉज, दयालबाग, आगरा जिसके एतद् पश्चात् पंजीकृत इच्छुक क्रेता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :–

चूंकि उक्त परिषद् भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर आगरा तहसील आगरा जिला आगरा में पं0 दीनदयाल उपाध्यायपुरम सिकन्दरा योजना, आगरा नामक मौहल्ले के सेक्टर–2सी, में स्थित ग्रीन एन्क्लेव (एस–6) बहुमंजिले 2बी0एच0के0 का आवासीय फ्लैट संख्या–ए–401 चतुर्थतल का कुल मूल्य है, और चूंकि उक्त परिषद् ने रु0 41,81,655=00 (रुपये इकतालीस लाख इक्यासी हजार छः सौ पचपन मात्र) जिसका आधा रु0 20,90,827.50 (रुपये बीस लाख नब्बे हजार आठ सौ सत्ताईस पैसे पचास मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या–ए–401 सेक्टर–2सी) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद् पश्चात् उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद् से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्ध और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिये सहमत है अतएव रु0 41,81,655=00 (रुपये इकतालीस लाख इक्यासी हजार छः सौ पचपन मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी

आवंटी–(अजयवीर सिंह)

सम्पत्ति प्रबन्धक

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
सिकन्दरा योजना, आगरा

समबद्ध पक्षों के लिये इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन परिषद् एतद् द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्यायपुरम सिकन्दरा योजना, आगरा में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति संख्या–संख्या–ए–401 सेक्टर–2सी) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है :–

1. परिषद् को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुशरण में जिसके लिये परिषद् का गठन किया गया था, एतद्द्वारा विक्रय किया गया हो हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
2. एतद् द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
3. उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।
4. पंजीकृत पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद् द्वारा या उक्त परिषद् के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।
5. यदि इच्छुक क्रेता एतद् द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या माँगों के कारण या उक्त परिषद् के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाये तो उक्त परिषद् इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगी।

आवंटी–(अजयवीर सिंह)

सम्पत्ति प्रबन्धक

सम्पत्ति प्रबन्धक
पं0 आवास एवं विकास परिषद
सिकन्दरा योजना, आगरा

6. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद् द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधनया परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किए जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धत किए जा रहे है।

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण पंजीकृत इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) पंजीकृत इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिये किया जायेगा।

(ग) पंजीकृत इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति में अपने अधिकार का विकय अन्तरण परिषद के अनुमोदन के सिवाय, नहीं करेगा/करेगी यदि ऐसा अन्तरण प्रथम दस वर्ष की अवधि के दौरान अपेक्षित हो और इसके पश्चात आवास आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से करेगा।

7. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद् से किसी धनराशि के लिये चाहे जो भी हो, दावा किये गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिये सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद् की कॉलोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण

आवंटी–(अजयवीर सिंह)

सम्पत्ति प्रबन्धक

और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अशंदान के लिये भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाये, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद् को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या–संख्या–ए–401 सेक्टर–2सी) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद् उक्त धनराशि को 18 % (अटठारह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

8. पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद् के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

9. इस विलेख के अधीन परिषद् से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति (संख्या–ए–401 सेक्टर–2सी) स्थित है के अतिरिक्त अनुलंग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

10. क्रेता ने विलेख में दिये गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्ण रूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

जिसके साक्ष्य में श्री ए0के0 गुप्ता सम्पत्ति प्रबन्धक, ने परिषद् के लिये और उसकी ओर से श्री अजयवीर सिंह आशयिता नगला हवेली, नियर कावेरी लॉज, दयालबाग, आगरा ने स्वंय खरीददार के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद् द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

आवंटी–(अजयवीर सिंह)

सम्पत्ति प्रबन्धक

अनुसूची "क"

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची :

सीमाएं : उत्तर
पूरब
दक्षिण
पश्चिम

संलग्न नक्शा के अनुसार

फ्लैट संख्या–ए–401 सेक्टर–2सी
क्षेत्रफल 113.41 वर्ग मीटर
पूरब मीटर
पश्चिम मीटर
उत्तर मीटर
दक्षिण मीटर

संलग्न नक्शा के अनुसार

1–साक्षी : 1. हस्ताक्षर .....
2. नाम .....
3. पता .....

2–साक्षी : 1. हस्ताक्षर .....
2. नाम .....
3. पता .....

विक्रेता के लिये और उसकी ओर से

1–साक्षी : 1. हस्ताक्षर .....
2. नाम .....
3. पुत्र श्री .....
4. पता .....

सम्पत्ति प्रबन्धक
(पूर्व आवास आयुक्त)

2–साक्षी : 1. हस्ताक्षर .....
2. नाम .....
3. पुत्र श्री .....
4. पता .....

क्रेता के लिये और उसकी ओर से
1. हस्ताक्षर .....
2. आवंटी–(अजयवीर सिंह)
पुत्र श्री किशन सिंह
निवासी–नगला हवेली, नियर कावेरी लॉज,
दयालबाग, आगरा।

इस सम्पत्ति संख्या–ए–401 सेक्टर–2सी का लेखपत्र, उपनिबन्धक द्वितीय तहसील सदर आगरा में प्रस्तुतीकरण हेतु प्रथमपक्ष श्री ए0के0 गुप्ता सम्पत्ति प्रबन्धक द्वारा एक मुख्तारनामा उपनिबन्धक द्वितीय तहसील सदर आगरा में दिनांक 27.03.2018 को पंजीकृत कराया गया है, जोकि उपनिबन्धक द्वितीय तहसील सदर आगरा कार्यालय में बही नं0–06 जिल्द संख्या–03 पृष्ठ संख्या–207 से 220 के क्रमांक–02 पर पंजीकृत है। मुख्तारनामे के अनुसार सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सिकन्दरा योजना आगरा के कर्मचारी श्री जवाहर सिंह पुत्र श्री कमल सिंह एवं श्री कन्हैया लाल पुत्र स्व0 श्री तॉतुरिया राम को लेखपत्र उपनिबन्धक प्रथम/द्वितीय कार्यालय तहसील सदर आगरा एवं उपनिबन्धक कार्यालय तहसील एत्मादपुर आगरा में पंजीयन के प्रस्तुतीकरण हेतु अधिकृत किया गया है।

नोट–ई0 स्टाम्प प्रमाण नं0 IN-UP03965688244391P Unique Doc. Reference No-SUBIN-UPUPSHCIL0104774810889598P Rs-3,20,000/-

आवेटी–(अजयवीर सिंह)

सम्पत्ति प्रबन्धक